

(328)

(204)

न्यायालय भानुनीय राजस्व मण्डल मोप्र० रवानियर, सर्किट कोर्ट रीवा।



38/-

गुलाब सिंह तनय श्री त्व० भेयालाल सिंह उम्र 60 का, निवासी ग्राम  
चैदनिया, तहसील चुरहट, जिला सीधी मोप्र० ===== आधिक  
ज्ञापिनी सीधी | दूरा | 2017 | 2046 बनाम

श्री मती शान्ती सिंह पुत्री सवाई लाल सिंह पत्नी वैश्वानादुर सिंह,  
निवासी नेवादा तहसील लालगढ़, जिला मिजापुर उप्र०

20 मोप्र० शासन ===== अनाधिकारण

अधिकारी श्री मोरदवज  
सिंह द्वारा प्रकृति  
30.6.17

निगरानी बिल्ड आधिकारी तहसीलदार तहसील  
चुरहट जिला सीधी मोप्र० की न्यायालय के  
राजस्व प्रकरण क्र० 34/अ०/2015-16 में  
पारित आदेश दिन 19-06-2017।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मो प्र० भ० ८०  
रु० 195.95

मान्यवर,

निगरानी के संबिल्ल चिवरण निम्नलिखित है:-

1. महाकि, अनाधिकारा शान्ती सिंह ने आधिनस्थ न्यायालय के  
के समक्ष ग्राम चैदनिया तहसील चुरहट जिला सीधी की भूमि खसरा न० 21,  
32, 51, 70, 327, 360, 365, 377, 415, 421, 462, 484, 502, 522,  
व 524 किता 15 कुल रकवा 3.65 है० के 1/2 हेत्ते में स्व० मुसम्मात  
छोटकी, बैबा इन्द्रधान सिंह के श्रृंगारित्व की भूमियों का वारिशन।

निगरानी

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....III/ग्रामीण/भा/2046..... जिला.....मध्य.....

.....चुनबाबीखेह.....विरुद्ध.....श्रीमते शाक्तोभीखेह.....

1	2	3
16/1/19-	<p>1. आवेदक वर्गी ओर से श्री .....माधवभाई..... अधिवक्ता  द्वारा यह चयन तहसीलदार तहसील.....चुरहट..... के</p> <p>प्रकरण क्रमांक.....34/35-6/2015-16..... में पारित आदेश  दिनांक.....19/6/17..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-  राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप  अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)  के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....मध्य..... के न्यायालय  को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक .....26/03/19..... को  कलेक्टर.....मध्य..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p> 	